

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

नवगठित 09 जिलों हेतु आवश्यक पदों को शामिल करते हुए वर्तमान सेटअप में 207 अतिरिक्त पदों की वृद्धि के फलस्वरूप राशि ₹ 683.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क.	पदनाम	वेतनमान		पद संख्या
		पे बैंड	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5
1	अपर पंजीयक	37400-67000	8700	01
2	संयुक्त पंजीयक	15600-39100	7600	04
3	उप पंजीयक	15600-39100	6600	08
4	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	13
5	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	10
6	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	20
7	अधीक्षक	9300-34800	4300	02
8	सहकारिता निरीक्षक	5200-20200	2800	30
9	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	08
10	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	10
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	27
12	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	15
13	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200	1900	06
14	वाहन चालक	5200-20200	1900	27
15	दफ्तरी	5200-20200	1400	08
16	अंशकालीक फर्श	क्लेक्टर दर		09
17	चौकीदार	आकस्मिकता स्थापना		09
योग				207

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 6,83,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान 1 प्रतिशत करने हेतु राशि ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 3

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 250 गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड से राशि ₹ 1875.00 लाख की ऋण सहायता प्राप्त कर व्यय किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 18,75,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के रूप में विकसित करने हेतु राशि ₹ 850.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 8,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 2

कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान 1 प्रतिशत करने हेतु राशि ₹ 760.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 7,60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 3

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 300 गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड से राशि ₹ 2250.00 लाख की ऋण सहायता प्राप्त कर व्यय किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 22,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान 1 प्रतिशत करने हेतु राशि ₹ 240.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 2,40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 2

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 150 गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड से राशि ₹ 1125.00 लाख की ऋण सहायता प्राप्त कर व्यय किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 11,25,00,000 का प्रावधान किया गया है ।